न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 309/2025
आदेश

09.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. अनुभव रंजन 2. धन्नजय कुमार एवं 3. साकेत कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड संख्या 84/2022 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वजीत कुमार को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामनरेश्ज्ञ सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक शंकर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि उनके दादा रामनरेश सिंह का निधन दिनांक 09.07.2020 को हो गया था। उनके दादा का बचत खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नासरीगंज शाखा में संचालित था, जिसमें पेंशन की राशि जमा होती थी। आगे अभियोजन का आरोप है कि दादा की मृत्यु के उपरांत दिनांक 09.07.2020 से 12.04.2021 के बीच बैंक के शाखा प्रबंधक एवं कैशियरगण ने आपराधिक षडयंत्र के तहत बैंक अभिलेखों में कूटरचना कर उक्त खाते से कुल 1,51,000/–रुपए की राशि अवैध रूप से निकासी कर गबन कर लिया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक ने स्वयं को मृतक का उत्तराधिकारी बताते हुए बैंक से खाते का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु बैंक अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई। बाद में खाते का विवरण प्राप्त होने पर उसे कथित अनियमित निकासी की जानकारी हुई तथा उसने प्राथमिकी दर्ज करवाया।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पूर्व में किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन का वाद झूठा और मनगढ़ंत है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक ने भ्रम की स्थिति में वास्तविकता को जाने बिना आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध यह मामला दर्ज कराया है। आवेदक अभियुक्तगण बैंक के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उनके विरुद्ध यह झूठा मामला दर्ज किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सूचक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वह मामले में समझौता कर लिया है और इस मामले में समझौता सुलहनामा दाखिल किया है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत

लगातार
09.06.2026

पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया है तथा कहा है कि इस वाद में उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है।

सूचक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है तथा उसने भी अभियुक्तों के साथ सुलह हो जाने की बात कही है तथा आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्तों का अभिलेख पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदक अभियुक्त इस वाद की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्रस्तुत वाद सूचक ने रुपयों के लेन–देन से संबंधित विवाद को लेकर लाया था। वाद में उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक ने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता हैं कि यदि आवेदक अभियुक्तों को आदेश प्राप्ति की तिथि से **पंद्रह दिनों** के अंदर गिरफ्तार किया जाता है या वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो वैसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तों की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 482(2) के शर्तो के अधीन रहते हुए, बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज।